कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना लखनपुर जिला– सरगुजा (छ0ग0)

क्रमांक/636 /नियु0/बाविपरि/2026–27 लखनपुर दिनांक 16.11.2026.....

// विज्ञापन //

छ0ग0 शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर के आदेश कमांक 728/1098/2008/भबावि/50 दिनांक 02.04.2008 नियम में दिए गए प्रावधान के अनुसार कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना अन्तर्गत आं0बा0 कार्यकर्ता/सहायिका के रिक्त पदों पर दिनांक 16.11.2026 से 30.11.2026 तक आवेदन Online https://aww.e-bharti.in/ के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। सीधे अथवा डाक द्वारा कार्यालय में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। विस्तृत जानकारी ई–भर्ती पोर्टल https://aww.e-bharti.in/ व कार्यालय के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता।

पदपूर्ति किये जाने वाले रिक्त पदों की तालिका

क्र0	परियोजना का नाम	सेक्टर का नाम	ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम	आंगनबाडी केन्द्र का नाम	रिक्त पद का नाम	रिमार्क
1	लखनपुर	सलका	अमलभिट्ठी	महादेवपारा	सहायिका	
2	लखनपुर	लोसगा	रेम्हला	राईभवना	सहायिका	
3	लखनपुर	गुमगरा	गणेशपुर	जनकपुर	सहायिका	
4	लखनपुर	अमगसी	उमरौली	उमरौली	सहायिका	
5	लखनपुर	कुन्नी	लब्जी	ढोड़गापारा	सहायिका	PVTG

आवेदन किये जाने हेतु निम्नानुसार अर्हताएं हैः–

1. आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका का पद केवल महिलाओं के लिए है, इसके लिए आयु सीमा आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता/सहायिका/सह–सहायिका/संगठिका को आयु सीमा में तीन वर्ष की छुट दी जावेगी। आयु की गणना जारी दिनांक से की जावेगी।
2. आवेदिका उसी राजस्व ग्राम की स्थायी निवासी होना चाहिए जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है। किसी भी. स्थिति में अन्य ग्राम के आवेदिका का चयन नहीं किया जावेगा। निवास के संबंध में सक्षम अधिकारी,सरपंच/सचिव द्वारा संयुक्त जारी प्रमाण पत्र अपलोड़ करने पर ही मान्य किया जावेगा।
3. आंगनबाडी कार्यकर्ता पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12 वीं अथवा 11 वीं बोर्ड (पूर्वती) एवं सहायिका पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8 वीं उत्तीर्ण होगी। स्व प्रमाणित अंकसूची पोर्टल में अपलोड किया जावे अन्यथा आवेदन निरस्त किया जायेगा।

टीपः– उपरोक्तानुसार शहरी/ग्रामीण/आदिवासी परियोजना में कोई आवेदिका न मिलने पर कार्यकर्ता पद हेतु शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर दसवीं बोर्ड रखी जावेगी। इस अनुसार भी कोई आवेदिका न मिलने पर पूनः शिथिल मानकर आठवीं बोर्ड एवं इसके उपरांत भी शैक्षणिक योग्यता वाली आवेदिका न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान शिथिल कर कम शैक्षणिक योग्यता के आवेदन पर विचार किया जावेगा।

4. अनुसूचित जाति, जनजाति के आवेदिकाओं हेतु सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/तहसीलदार) द्वारा जारी किया गया वैध जीवित जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य

Scanned with OKEN Scanner

होगा। सरपंच सचिव द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र में किसी प्रकार के अंक का लाभ नहीं दिया जावेगा। प्रमाण पत्र अपलोड़ करने पर ही मान्य किया जावेगा।

5. परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला होने पर ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर प्रमाण पत्र अथवा न्यायालय द्वारा जारी ततसंबंधी आदेश एवं परित्यक्ता महिला के संबंध में 02 वर्ष से अधिक की अवधि मान्य होगा। प्रमाण पत्र अपलोड़ करने पर ही मान्य किया जावेगा।
6. निवासी होने के प्रमाण में (1) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र। (2) ग्रामीण अथवा नगरीय क्षेत्र में वार्ड के अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो का कमांक का उल्लेख हो। फोटो–कापी पंच/सरपंच के हस्ताक्षर सहित लगावें। (3) ग्राम पंचायत के सरपंच अथवा उपसरपंच तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरित निवास प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो,मान्य किया जावेगा। प्रमाण पत्र अपलोड़ करने पर ही मान्य किया जावेगा।
7. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला होने पर प्रभावसील सूची (समाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 सर्वे सूची) से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अपलोड करने पर ही अंक दिया जायेगा, राशनकार्ड की प्रतिलिपि मान्य नही है।
8. अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका/सह–सहायिका होने पर, गरीबी रेखा परिवार अनुसुचित जाति जनजाति परिवार की महिला होने पर, तथा विधवा परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर अतिरिक्त अंक दिये जावेगें। इस हेतु आवेदन के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
9. आवेदन के साथ जो भी दस्तावेज संलग्न किये गये हैं अंको की गणना उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर होगी। ऑनलाईन आवेदन करने के उपरांत अन्य कोई दस्तावेज स्वीकार्य नहीं किये जावेगें। दावा आपत्ति के समय कोई भी नवीन दस्तावेज शामिल नहीं किया जायेगा।
10. आवेदन के समय अपलोड किया गया समस्त दस्तावेज एवं फोटो आवेदिका द्वारा स्वप्रमाणित होना अति आवश्यक है, स्वप्रमाणित नहीं होने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है जिस हेतु सम्पूर्ण जवाबदारी आवेदिका की होगी।
11. आवेदन में उल्लेखित नियम/शर्तों को भलि भांति पढ लें, समझ लें, उसके बाद ही आवेदन ऑनलाईन सबमिट करें। आवेदन भरने में किसी प्रकार की त्रुटि रहने से यदि आवेदन निरस्त किया जाता है तो अभ्यर्थी का यह कथन कि हमने नियम/शर्त को पढा नहीं अथवा ध्यान नहीं दिया, मान्य नहीं होगा।
12. अन्य विस्तृत जानकारी कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते है। उपरोक्तानुसार अर्हता रखने वाले इच्छुक आवेदिका रिक्त पद हेतु आवेदन कर सकते है। आंगनबाडी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं/मिनी कार्यकर्ता का पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है। इन्हें केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जावेगा।
13. ग्रेडींग की अंकसूची विद्यालय से पूर्णांक/प्राप्तांक निकलवाकर प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर एवं विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी का काउन्टर हस्ताक्षर कराकर प्रमाण पत्र अपलोड़ करने पर ही मान्य किया जावेगा।
14. जिन प्रमाण पत्रों के आधार पर अंक प्रदान करते हुए प्रावधिक चयन सूची जारी की जानी हैं, समस्त प्रमाण पत्र आवेदन के साथ पोर्टल पर स्व प्रमाणित प्रमाण पत्र अपलोड़ करने पर ही मान्य किया जावेगा।
15. आवेदन पत्र पोर्टल पर ऑनलाईन भरने के पश्चात आवेदन का प्रिन्ट आउट परियोजना कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

Scanned with OKEN Scanner

16. संचालनालय महिला एवं बाल विकास के पत्र कमांक/1313/मबावि/आईसीडीएस/2025–26 अटल नगर दिनांक 03.05.2025 में प्राप्त निर्देश के तहत (PVTG) प्रधानमंत्री जनमन योजना अन्तर्गत स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों में उसी बसाहट के आवेदिकाओं का चयन किया जायेगा। अन्य बसाहट के आवेदिकाओं के आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। यदि (PVTG) बसहाट के कोई आवेदिका का आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उस राजस्व ग्राम के आवेदिकाओं से नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण किया जायेगा।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
लखनपुर,सरगुजा,छ0ग0

पृ0कमाक/637/स्था0/नियु0/बाविपरि/2026–27 लखनपुर दिनांक 16.11.2026

प्रतिलिपि :–

1. जिला कार्यकम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 को सूचनार्थ।
2. नगर पंचायत लखनपुर जिला सरगुजा को सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज0पं0 लखनुपर जिला–सरगुजा को सूचनार्थ।
4. खण्ड चिकित्सा अधिकारी, लखनपुर को सूचनार्थ।
5. खण्ड शिक्षा अधिकारी लखनपुर को सूचनार्थ।
6. जनसम्पर्क कार्यालय अम्बिकापुर को सूचनार्थ। समाचार पत्रों में प्रकाशन करने हेतु।
7. सर्व संबंधित सरपंच ग्राम पंचायत/वार्ड पार्षद ..... की ओर भेजकर लेख है कि ग्राम की आवेदिकाओं को सूचित कर आवेदन फार्म भरने हेतु जानकारी संबंधितो को देवें।
8. सेक्टर पर्यवेक्षक.....को सूचनार्थ।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
लखनपुर,सरगुजा,छ0ग0

Scanned with OKEN Scanner